जी.सी.एम.एस.नं. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

केस्म मुकदमा .... नम्बर Gems-2023/255 वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12	पत्रावली ... है। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दागर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 7/1/25 को पेश हो।	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/2/25 को पेश हो।	
22/4/25	ईकजाही पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 व 9 के विरूद्व प्रकरण विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 9 के विरूद्व कार्यवाही प्रकरण drop किया जाता हैं। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।	
02/05/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2018 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओ के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में पक्षकारान के मध्य बंटवारा नही होने के कारण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही किये जाने का निवेदन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.06.03 11:14:45
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 11.05.2018 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 11.05.2018 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम लाखा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 501 रकबा 0.77 है0 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 11.05.2018 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Ve

Digitally signed by Ra
Yadav
Date: 2025.06.03 11:
Reason: SelfAttested